सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 05, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 27, *2024* *Asvina 05, Friday, Saka 1946- September 27, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 25, 2024

संख्या प.5(1)चिस्वा/ग्रुप-3/2024 :-खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 आॅफ 2006) की धारा 37(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त 01 विभागीय कर्मचारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मूल पद पर राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित कार्मिको की नियमित नियुक्ति होने तक कार्य व्यवस्थार्थ अग्रिम आदेशों तक खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (34 आॅफ 2006) की धारा 38 में निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन करने हेतु अधिकृत किया जाता हैः -

क्र.स.	विभागीय कर्मचारी का नाम	मूल पद
1.	श्री गिरधारी राम	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर

उक्त विभागीय कर्मचारी द्वारा निम्न शर्तो के अध्याधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे।

1. खाद्य शक्तियां प्रदत्त करना एवं उन्हें प्रत्याहरित किये जाने के अधिकार पूर्णतया राज्य सरकार/विभाग का होगा अर्थात् सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये उपरोक्त विभागीय कर्मचारी किसी भी प्रकार के न्यायिक लाभ (Judicial/Quasi Judicial Benifit) के हकदार नहीं होंगे।

2. उपरोक्त समस्त विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद के वेतनमान पर ही राज्य कार्य करेंगे, इन्हें किसी प्रकार की कोई वेतन विसंगती का लाभ देय नहीं होगा।
3. अधिसूचित विभागीय कर्मचारी के विरूद्व कार्य मे लापरवाही /शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसे कार्मिको को प्रदत्त खाद्य शक्तिया प्रत्याहरित कर मूल पद कार्यमुक्त कर मूल विभाग मे भिजवा दिया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,
प्रीति माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।